

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 1983/वैशाख, 20, 1905
No. 79] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 1983/VAISAKHA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 17 आईटीसी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 10 मई, 1983

मिसिल सं. आईपीसी/54/76/80-81 :-भारत-नेपाल व्यापार से सम्बन्धित
वाणिज्य विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-ईटीसी
(पीएन)/78 दिनांक 18 नवम्बर, 1978 की ओर ध्यान दिलाया जाना है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि नेपाल से भारत में नेपाली मूल के कच्चे पटसन
और पटसन के टुकड़ों के आयात की अनुमति सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से दी
जाएगी । लेकिन, इच्छुक आयातकों को सीमा शुल्क के माध्यम से माल की निकासी
से पहले अपने आयात ठेके भारत के पटसन निगम, कलकत्ता से पंजीकृत कराने होंगे ।
इस उद्देश्य के लिए आयातकों को ठेके की दो प्रतियां भारत के पटसन निगम को
भेजनी चाहिए, जिनमें से एक प्रति विधिवत् मोहर लगाकर पटसन निगम द्वारा

सम्बद्ध आयातक को लौटा दी जाएगी । भारत के पटसन निगम द्वारा विधिवत मोहर लगाई गई ठेके की प्रति प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क प्राधिकारी निकासी की अनुमति देगे ।

रौमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 17

New Delhi, the 10th May, 1983

File No. IPC/54/76/80-81.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 74-ETC(PN)/78 dated the 18th November, 1978 as amended from time to time, regarding Indo-Nepal trade.

2. It has been decided that import of raw jute and jute cuttings of Nepalese origin, from Nepal into India, will be allowed freely to all persons. The intending importers shall, however, be required to register their import contracts with the Jute Corporation of India, Calcutta before clearance of the goods through customs. For this purpose, the importers should send two copies of the contract to the Jute Corporation of India of which one copy, duly stamped by the Jute Corporation, will be returned to the concerned importer. The customs authorities will allow clearance on production of contract duly stamped by the Jute Corporation of India.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports